

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016


नीपा/आरओ/यूजीसी/002/2022-23
दिनांक: फरवरी 20, 2023

अधिसूचना

दिनांक 07.02.2023 को हुई संकाय सदस्यों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रोफेसर मनीषा प्रियम, शैक्षिक नीति विभाग से अनुरोध है कि कुलपति एवं कुलसचिव के परामर्श से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रावास सुविधाओं को विकसित करने की पहल करें। साथ ही आप छात्रावास में रहने और खाने की व्यवस्था के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को भी विकसित करेंगी।

छात्रावास के वर्तमान अधिकारी प्रो मनीषा प्रियम के साथ सहयोग करेंगे। आपको सौंपे गए उत्तरदायित्व को मार्च, 2023 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. डी.एस. ठाकुर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

सेवा में,

प्रो मनीष प्रियम, शैक्षिक नीति विभाग
डा. वी.पी.एस. राजू, हॉस्टल वार्डन
डॉ कश्यपी अवस्थी, सहायक हॉस्टल वार्डन

प्रतिलिपि प्रेषित:

- कुलपति के निजी सचिव - माननीय कुलपति को सूचनाथ
- कुलसचिव के निजी सहायक
- सिस्टम एनालिस्ट - 'स्टाफ कॉर्नर' वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
- अनुभाग अधिकारी (अकादमिक प्रशासन)
- फाइल